कार्यालय श्री साँवलियाजी मंदिर मण्डल

मण्डफिया जिला–चित्तौडगढ

बैठक कार्यवाही विवरण

बोर्ड बैठक दिनांक : 28.02.2014

आज दिनांक 28.02.2014 को माननीय श्री भेरूलालजी गुर्जर, अध्यक्ष, श्रीसाँवलियाजी मंदिर बोर्ड, मण्डफिया की अध्यक्षता में गोकुल विश्रान्ति गृह, मण्डफिया में बोर्ड बैठक आयोजित की गई। जिसमें निम्नांकित बोर्ड सदस्यों ने भाग लिया :–

1. श्री ममतेश शर्मा, बोर्ड सदस्य
2. श्री जीतमल पुत्र श्री धन्नाजी जाट, बोर्ड सदस्य
3. श्री श्रीलाल पुत्र श्री भगवानजी पाटीदार, बोर्ड सदस्य
4. श्री भंवरदास पुत्र श्री राधाकिशन दास, बोर्ड सदस्य
5. श्री शोभालाल पुत्र श्री मिट्ठूलाल गायरी , बोर्ड सदस्य
6. श्री मनोहरलाल पुत्र श्री कन्हैयालाल सोनी, बोर्ड सदस्य

प्रशासनिक अधिकारी ने बोर्ड को अवगत कराया कि माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार श्री मान् मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय ने दिनांक 12.02.2014 को बोर्ड बैठक का एजेण्डा जारी करने की सूचना प्रसारित कर दी गयी थी परन्तु दिनांक 27.02.2014 को अति आवश्यक राजकीय कार्य होने से मुख्य कार्यपालक अधिकारी जयपुर के लिए निकलना पडा। जिनका बोर्ड बैठक में उपस्थित होना संभव नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय ने बोर्ड में उपस्थित सभी सदस्यों से आग्रह किया गया कि वर्ष 2014–15 का बजट एवं एजेण्डे के अन्य बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाना नितान्त आवश्यक है। जिस पर बैठक

में उपस्थित सभी सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय के आग्रह को स्वीकार करते हुए कार्यवाही प्रारम्भ करने की स्वीकृति दी । माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार प्रशासनिक अधिकारी ने बोर्ड बैठक में उपस्थित सदस्यों के समक्ष एजेन्डे के समस्त बिन्दुओं को पढकर सुनाया गया। तत्पश्चात् बोर्ड बैठक विधिवत् रूप से प्रारम्भ की गयी।

सर्वप्रथम दिनांक 02.08.2013 की बोर्ड बैठक में लिये गये प्रस्तावों एवम् दिनांक 02.08.2013 से 27.02.2014 के मध्य बोर्ड द्वारा पारित किये गये सर्कुलेशन प्रस्तावों को उपस्थित बोर्ड सदस्यों के समक्ष बिन्दुवार पढकर सुनाया गया तथा प्रस्तावों की पालना के सम्बन्ध में बोर्ड को अवगत कराया गया । बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से समस्त प्रस्तावों एवं की गयी कार्यवाही का अनुमोदन किया गया। तत्पश्चात् प्रशासनिक अधिकारी, श्री सॉवलियाजी मंदिर मण्डल द्वारा वार्षिक आय–व्यय का अनुमानित बजट वर्ष 2014–2015 व संशोधित बजट वर्ष 2013–2014 बोर्ड के समक्ष रखा गया तथा बिन्दुवार पढकर सुनाया गया । बोर्ड में उपस्थित सभी सदस्यों ने बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से वार्षिक आय–व्यय का अनुमानित बजट वर्ष 2014–2015 व संशोधित बजट वर्ष 2013–2014 का अनुमोदन किया गया। जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है–

प्रस्ताव संख्या(1):–<u>श्री सॉवलियाजी मंदिर मण्डल के बजट अनुमान वर्ष 2014–2015 एवं संशोधित बजट वर्ष 2013–2014 के अनुमोदन के क्रम में</u>:–

श्री सॉवलियाजी मंदिर मण्डल के वर्ष 2014–2015 के अनुमानित आय व्यय का अनुमोदन एवं वर्ष 2013–2014 में किये गये संशोधित आय व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार से दी जाती है ।

वर्ष 2013–2014 की कुल अनुमानित आय एवं प्राप्तियॉ रूपये **4949.00** लाख के विरूद्व संशोधित आय रूपये **3681.12** लाख अपेक्षित (आय का मानचित्र 'अ') तथा अनुमानित व्यय रूपये **4949.00** लाख के विरूद्व संशोधित व्यय **2022.14** लाख का अनुमान है। (व्यय मानचित्र 'ब') वर्ष 2014–2015 हेतु अनुमानित आय रूपये **4382.00** लाख (आय का मानचित्र

'अ')तथा अनुमानित व्यय रूपये **4382.00** लाख (व्यय का मानचित्र 'ब') के अनुसार अनुमोदन किया जाता है।

बजट
वर्ष 2014–2015

मंदिर मण्डल के वर्ष 2014–2015 के अनुमानित एवं वर्ष 2013–2014 के संशोधित आय व्यय क्रमशः अनुसूची अ व ब अनुमोदित किये गये ।

1. ***संस्था (मन्दिर) व्यवस्था व्यय :–*** **100.00 लाख**

इस मद में भगवान श्री सॉवलियाजी व कस्बे के 5 मंदिरो की सेवा पूजा, बालभोग प्रसाद,देशी घी, केशर, अगरबत्ती, इत्र,नारियल,पोशाकें, वागा एवं श्रीसॉवलियाजी की श्रृँगार सामग्री, पूजा के रजत बर्तन, गर्भगृह को चिताकर्षक बनाने हेतु सोने व चांदी से गंगा जमुनी की कारीगरी की पिछवाई व सिंहासन बनवाना, भण्डार एवं दरवाजो पर चांदी चढाने का कार्य, भगवान का नया रजत रथ बनाने का कार्य, मुख्य मन्दिर तहखाने में स्ट्रांग रूम निर्माण, मुख्य मन्दिर में पीतल रेलिंग निर्माण, मन्दिर सुरक्षा हेतु अत्याधुनिक हथियार, चैकिंग मशीने (H.H.M.D, D.F.M.D Etc.) व निगरानी हेतु डिजिटल सी.सी.टी.वी. कैमरे तथा बडी साईज की L.E.D. T.V.तथा मेले के अवसर पर मंदिर मण्डल क्षेत्र के अन्य 15 गॉवों की पूजा सामग्री इत्यादि एवं सौन्दर्यकरण, आरती व पूजा उपकरण, पण्डित दक्षिणा, ढ़ोलक व हारमोनियम तथा मजीरा क्रय व मरम्मत, दर्शनार्थियों हेतु छाया के लिए टेंट व्यवस्था, भण्डार खुलते समय होने वाले व्यय हेतु रू0 **100.00** लाख का प्रावधान रखा गया है।

2. ***महाप्रसाद,साधुसन्तों एवं असहाय गरीबों को भोजन :–*** **42.00लाख**

प्रतिमाह परम्परानुसार अमावस्या ,फुलडोल, शरद पूर्णिमा, शिवरात्रि, अन्नकूट एवं अन्य पर्वो पर होने वाले महाप्रसाद, दर्शनार्थ आने वाले साधु सन्तों एवं यात्रियों तथा गरीब असहाय दर्शनार्थियों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था, जलाऊ लकड़ी, सब्जी क्रय, परोसगारी, हलवाई, लाईट व्यवस्था हेतु रू0 **42.00** लाख का व्यय अनुमान प्रस्तावित किया गया।

3. ***<u>वेतन एवं भत्ते :–</u>*** **(अ)+(ब)** **733.00 लाख**

(अ) नियमित एवं प्रतिनियुक्त स्टाफ : **433.00 लाख**

मंदिर मण्डल में कार्यरत नियमित एवं प्रतिनियुक्त स्टाफ कें वेतन भत्तों एवं पेंशन अंशदान हेतु रू0 **433.00** लाख व्यय का प्रावधान रखा गया है। अनुसूची 'स' में विवरण संलग्न है ।

क्र0सं0	स्टाफ का विवरण	कार्यरत	रिक्त पद	कुल स्वीकृत
1	प्रतिनियुक्ति स्टाफ	01	03	04
2	नियमित वेतन श्रृंखला	89	102	191
	कुल स्टाफ का योग	90	105	195

(ब) संविदा कार्मिक : **300.00लाख**

मंदिर मण्डल में विभिन्न अनुभागों में यथा–मंदिर, कार्यालय, धर्मशाला, बालभोंग, महाप्रसाद, भोजनशाला, जल–विधुत, कृषि, गौशाला, निर्माण तथा वार्षिक जल–झूलनी एकादशी मेला में एजेन्सी के मार्फत संविदा पर कार्यरत 359 कार्मिको का पारिश्रमिक तथा मंदिर सुरक्षा व्यवस्था हेतु कॉपरेटिव सोसायटी के मार्फत 11 एक्स सर्विस मेन के पारिश्रमिक का भुगतान हेतु 300.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है।

4. ***<u>यात्रा व्यय :–</u>*** **1.00 लाख**

बोर्ड के पदाधिकारियों एवं मंदिर मण्डल में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यात्रा भत्ता पुराने भुगतान सहित रू0 1.00 लाख का व्यय करने का प्रावधान रखा गया है।

5. ***<u>चिकित्सा व्यय :–</u>*** **4.00लाख**

मंदिर मण्डल में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा मंदिर मण्डल कर्मचारियों को पूर्व वर्ष की भॉति देय चिकित्सा व्यय पुनर्भरण को दृष्टिगत रखते हुए बकाया दावों एवं आगामी निस्तारण हेतु रू0 4.00 लाख का प्रावधान रखा गया है। मंदिर मण्डल कर्मचारियों को चिकित्सा पुर्नभरण व्यय स्वीकृति अनुसार देय होगा ।

6. ***<u>वाहन,पी0ओ0एल0 एवं संधारण :–</u>*** **50.00लाख**

मंदिर मण्डल में वर्तमान में दो मोटर साईकिल वाहन पेट्रोल के है तथा एक सफारी, एक स्कार्पिओ, एक टावेरा, दो जीप, एक बोलेरो, पांच ट्रेक्टर, एक रोगी वाहन पुरानी (407)व एक रोगी वाहन नई डीजल आदि वाहन में मरम्मत, पी0ओ0एल0 ,टेक्स,

बीमा आदि के खर्चे सम्मिलित है। जिनमे से पुराने वाहन यथा–स्कार्पियों RJ 09 UA 0117, टवेरा RJ 09 UA 657, महेन्द्रा जीप RJ 09 C 0939, मैसी ट्रेक्टर RJ 09 R 2586, मैसी ट्रेक्टर RJ 09 R 3321, फोर्ड ट्रेक्टर RSH 6189, मोटरसाईकिल राजदूत RJ 09 6141 तथा भेंट में आयी फिएट कार व मारूति अल्टो कार जो पुरानी होकर बार–बार मरम्मत का कार्य अत्यधिक होने से नीलाम किये जाने का प्रावधान रखा गया है वाहनों की नीलामी से प्राप्त होने वाली राशि को सम्मिलित करते हुए एक टेवेरा एक बोलेरो व दो नये ट्रेक्टर तथा पूर्व में स्वीकृत एक फायर बिग्रेड छोटी क्रय की जानी है। जिस हेतु रूपये **50.00** लाख व वाहन नीलामी से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त राशि को सम्मिलित करते हुए नये वाहन क्रय करने का प्रावधान प्रस्तावित किया जाता है।

7. ***मशीनरी साज सामान एवं संयंत्र क्रय तथा संधारण :–*** **5.00लाख**

मंदिर मण्डल में वाटर कुलर, जनरेटर, पानी के टेंकर, पानी की टयुबवेल मोटरें, विधुत मोटरें ,कुओं हेतु उपलब्ध है जिनकी मरम्मत(संधारण) पी0ओ0एल0 तथा नवीन साज सामान, यात्रियों की सुविधा हेतु नये वाटर कुलर व अन्य आवश्यक संयंत्र क्रय हेतु रू0 **5.00** लाख का प्रावधान रखा गया है ।

8. ***कार्यालय व्यवस्था :–*** **15.00लाख**

कार्यालय में टेलीफोन बिल ,पोस्टेज, मुकदमा व्यय, वकील की फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, स्टेशनरी एवं लेखन सामग्री ,ऑडिट फीस, कार्यालय फर्नीचर, कर्मचारियों की वर्दी, कम्प्यूटर सोफ्टवेयर इत्यादि क्रय करने, अतिथि सत्कार, पुस्तकालय हेतु पत्र–पत्रिका, स्टेशनरी, कम्प्यूटर सामग्री, समाचार–पत्र, फोटो स्टेट कार्य, वेबसाईट नवीनीकरण व्यय,डिक्री व्यय,निविदा प्रकाशन, मोबाईल रिचार्ज व क्रय, उपरने, तस्वीर क्रय के साथ ही मंदिर मण्डल की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से सम्पादित करने हेतु रू0 **15.00** लाख का प्रावधान रखा गया है ।

9. ***विज्ञापन प्रचार प्रसार व्ययः–*** **7.00 लाख**

श्री सॉवलियाजी मंदिर के व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना है जिसमें टी0वी0 नेटवर्क, वैबसाईट नवीनीकरण, अखबारों में विज्ञापन, विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग बोर्ड लगानें, वार्षिक पंचाग व इतिहास मुद्रण, कलेण्डर प्रकाशन एवं अन्य प्रचार प्रसार के

माध्यमों से महाराष्ट्र, गुजरात, नाथद्वारा एवं अन्य जगहों पर सघन प्रचार प्रसार के लिए **7.00** लाख रू0 का बजट प्रावधान किया गया है।

10. ***<u>विधुत,जल एवं सफाई व्यवस्था :–</u>*** **90.00 लाख**

कार्यालय, धर्मशालाओं, मंदिर,स्टोर, स्टाफ आवासीय कॉलोनी रोड़ लाईट एवं मंदिर मण्डल की परिसम्पतियों की विधुत व्यवस्था, विधुत एवं सेनीटेशन सामग्री खरीद,रिक्त आवासीय भवनों, दुकानों, टयुबवैल की मोटरें, जनरेटर पर होने वाला मरम्मत व्यय, चक्की का विधुत व्यय, ग्राम मण्डफिया की रोड़ लाईटें एवं ग्राम सफाई के लिए निर्धारित अनुदान ,पानी की प्याऊ, मवेशी प्याऊ ,हैण्डपम्पों, टयुबवैलों का संधारण, रिवाईडिंग कार्य, सफाई ट्राली, झाडु व मटका क्रय तथा इन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से सम्पादन हेतु **90.00** लाख का प्रावधान रखा गया है।

11. ***<u>मेला एवं विभिन्न धार्मिक आयोजन व्यवस्था :–</u>*** **60.00लाख**

जलझूलनी एकादशी विशाल मेले में भजन संध्या, सांस्कृतिक कार्यक्रम, आतिशबाजी, रथयात्रा का आयोजन ,जिसमें हाथी, घोड़े ,ऊॅट, बैण्ड, कवि सम्मेलन ,विधुत झॉकिया, विधुत सजावट, टेन्ट शामियाना। प्रति अमावस्या एवं श्रावण मास में धार्मिक एवं सांस्कृतिक भजन संध्या कार्यक्रम व इन पर लाईट व टेन्ट व्यवस्था तथा अखण्ड रामायण पाठ, शिवरात्रि अनुष्ठान, जन्माष्टमी महोत्सव, हरियाली अमावस्या, भागवत कथा प्रवचन, क्षेत्र के मंदिरो में धार्मिक कार्यक्रम एवं साधु सन्तों का सम्मेलन आदि कार्यक्रमों एवं विभिन्न पर्वों को सुव्यवस्थित सम्पादन हेतु रू0 **60.00** लाख के व्यय का प्रावधान किया गया है ।

12. ***<u>गौशाला व्यवस्था :–</u>*** **200.00 लाख**

मंदिर मण्डल की गौशाला की गायों के घास, हरी ज्वार, मक्की कड़ब, पशु आहार, दवाईयॉ, विधुत व्यय एवं गौशाला की व्यवस्थाओं के सम्पादन के व्यय को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार की गतिविधियों की व्यवस्था हेतु रू0 180.00 लाख का प्रावधान रखा गया है रूपये **200.00** लाख में से रूपये 20.00 लाख विभिन्न कृषि फार्मों से होने वाली नोशनल आय को कृषि उत्पादन के गौशाला में काम में लेने से सम्मिलित किया गया ।

13. ***<u>कृषि व्यवस्था</u>*** :– **5.00 लाख**

कृषि कार्यो की भूमि के लिए हकाई , जुताई, कुओं एवं ट्युबवेल मोटर का

विधुत व्यय ,डीजल, खाद, बीज, कीटनाशक दवाईयॉ आदि। उक्त प्रावधान में अतिरिक्त जमीन को गौशाला की गायों हेतु हरी घास–यथा मैंथी बरसीम, ज्वार व मक्का की उपज हेतु योग्य बनाना व खेती करना भी शामिल है तथा कृषि कार्यों के सुचारू सम्पादन हेतु इस मद में रू0 **5.00** लाख का प्रावधान रखा गया हैं ।

14. ***<u>चिकित्सा सहायता मद :–</u>*** **10.00 लाख**

राजस्थान सरकार की भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई, जयपुर व आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज, उदयपुर एवं चितरंजन भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई, उदयपुर अथवा राज्य में प्रसिद्धि प्राप्त किसी अन्य शल्य चिकित्सा ईकाई के सहयोग से मन्दिर मण्डल के तत्वावधान में शल्य/नैत्र चिकित्सा शिविर का वर्ष में कम से कम एक बार आयोजन किये जाने तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम परिवार कल्याण के माध्यम से मण्डफिया स्थित चिकित्सालय में लगने वाले शिविरों में सहयोग प्रदान करने तथा सार्वजनिक हितार्थ उपयोग में आने वाले चिकित्सा उपकरणों के क्रय का प्रावधान रखा जाता है। साथ ही मन्दिर मण्डल द्वारा लगाये जाने वाले चिकित्सा शिविरों में गरीबों को निःशुल्क दवाईयों का वितरण, अपंग व्यक्तियों के लिए उपकरण एवं ट्राईसाईकिल वितरण एवं अन्य समाज सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित कार्यो, उनके माध्यम से लगाये जाने वाले शिविरों में उपकरण की राशि, हृदय रोग, केंसर रोग तथा अन्य बीमारियों के इलाज हेतु आर्थिक सहायता सहित रू0 **10.00** लाख व्यय का प्रावधान किया गया है।

15. ***<u>धर्मशाला व्यवस्था :–</u>*** **20.00लाख**

मंदिर मण्डल की समस्त धर्मशालाओं/विश्रांतिगृहों व बस स्टेण्ड पर यात्रियों की सुविधा हेतु बर्तन, चद्दर, बिस्तर, फर्नीचर, जाजम, पलंग, दरियों, टी0वी0, कुलर, गीजर, ए0सी0, पंखे क्रय, झाडू व सर्फ, केबल कनेक्शन व्यय, धर्मशालाओ को कम्प्यूटरीकृत करने हेतु कम्प्यूटर क्रय करना, हीट स्प्रे, धर्मशालाओं/विश्रांतिगृहों के बिस्तरों, ,खोलियों, बेडशीट एवं पर्दो इत्यादि की धुलाई, प्रेस व अन्य मरम्मत एवं सुथारी कार्य एवं व्यवस्थाओं के सुचारू रूप से सम्पादन हेतु **20.00** लाख रू0 का प्रावधान रखा गया है ।

16. ***<u>शैक्षणिक व सहशैक्षणिक गतिविधियॉ :–</u>*** **9.00लाख**

(अ)<u>शैक्षणिक :–</u> **4.00लाख**

मण्डफिया ग्राम तथा मंदिर मण्डल क्षैत्र के अन्य शालाओं के अध्ययनरत छात्रों की फीस एवं मण्डफिया क्षैत्र के प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृति तथा चित्तौडगढ जिले के समस्त प्रतिभावान छात्र जो उच्च शिक्षा जैसे– मेडिकल, इन्जिनियरिंग, एम.बी.ए. एवं सी.ए. में प्रवेश लेने पर प्रत्येक प्रतिभावान छात्र को मंदिर मण्डल की तरफ से 10,000/– रूपये का सहयोग दिया जाने को सम्मलित करते हुए रू0 **4.00** लाख का प्रावधान किया गया है ।

(ब) सहशैक्षणिक गतिविधियॉ :– **5.00 लाख**

विभिन्न राष्ट्रीय पर्वो पर मिठाई वितरण, पुरूस्कार, सम्मान प्रतीक समारोह का आयोजन खेलकूद सामग्री, पारितोषिक एवं प्रतियोंगिताओं के आयोजन हेतु रू0 **5.00** लाख का प्रावधान किया गया है ।

17. ***निर्माण,मरम्मत एवं विकास कार्य :–*** **2241.00लाख**

मंदिर मण्डल के अन्तर्गत पिछले वर्षो में स्वीकृत निर्माण कार्य, नवीन निर्माण तथा विकास कार्यो यथा–प्रमुख चौराहों पर शुद्ध पीने के पानी एवं शौचालयों की व्यवस्था, टीन शेड निर्माण, पीने के पानी की बडी टंकी एवं पानी स्टोरेज टांके की व्यवस्था, अत्याधुनिक भोजनशाला एवं बालभोग प्रसाद भवन निर्माण, कार्यालय प्रशासनिक भवन का निर्माण, ग्राम मण्डफिया एवं मन्दिर परिक्षैत्र के सौलह गांवों की सडकों का नवीनीकरण, शौचालयों का निर्माण एवं सड़कों पर बरसात का पानी एकत्र न हो इस हेतु कवर्ड सिवरेज नालियों का निर्माण कराना, कबूतरखाने से सांवरिया सरोवर तक सडक निर्माण, मुख्य चौराहों का आधुनिकीकरण विकास एवं हाई–मास्क लाईटें लगाना, निम्बाहेडा रेल्वे स्टेशन के पास की जमीन पर बाउण्ड्रीवाल निर्माण एवं जनहितार्थ हेतु वाटिका निर्माण, वृन्दावन गार्डन एवं अस्पताल के पास वाली भूमि पर सीमा जानकारी कर बाउण्ड्री वॉल निर्माण, गौशाला का आधुनिकीकरण एवं बाडों का निर्माण, स्टॉफ कॉलोनी के पानी की निकासी हेतु सिवरेज नाले का निर्माण, मन्दिर भण्डारण (स्टोर) का विस्तार, भादसौडा चौराहा से मण्डफिया तक रोड के बीच अत्याधुनिक रोड–लाईट लगाना तथा सडक किनारे विश्राम स्थल व शौचालयों का निर्माण, मन्दिर परिक्षैत्र के सौलह गांवों में सामुदायिक भवन निर्माण, मुख्य द्वार के

आगे दायी एवं बायी तरफ की जमीन पर पार्किंग स्टेण्ड निर्माण, कपासन फोरलेन मुख्य चौराहे पर सिंहद्वार निर्माण, न्यू शापिंग काम्पलैक्स के ऊपर हॉल निर्माण एवं काम्पलैक्स के बीच के चौक में फर्श व टीन शेड निर्माण, गौशाला में सी.सी. रोड, मन्दिर परिसम्पत्तियों पर चारदीवारी निर्माण, आसावाराजी से मण्डफिया तक सडक चौडाईकरण, यशोदा विहार धर्मशाला के बाहर फोरलेन सडक के किनारे कियोस्क निर्माण, गोवर्धन बस स्टेण्ड के सामने की लगती हुई दीवार के सहारे व सुदामा विश्रान्ति गृह चिकारडा में दुकानों का निर्माण, गौशाला में ट्री–गार्ड लगवाये जाने का कार्य, मन्दिर मुख्य द्वार के आगे चारदीवारी निर्माण, बालभोग प्रसाद एवं भोजन तैयार करने हेतु आधुनिक बालभोग कक्ष एवं भोजनशाला(रसोई, हॉल व कमरे) निर्माण, आदि को प्राथमिकता के आधार पर इस वर्ष में कराये जाने का प्रस्ताव लिया गया है साथ ही पूर्व में लिए गए प्रस्ताव अनुसार श्री सॉवलियाजी मंदिर विस्तार बाबत् किए जाने वाली भूमि अवाप्ति हेतु प्रावधान को सम्मिलित करते हुए कुल रू0 **2241.00** लाख का प्रावधान किया गया है। (अनुसूची 'द' संलग्न है)

18 ***अनुदान :–*** **20.00 लाख**

श्री सॉवलियाजी मंदिर मण्डल परिक्षैत्र के सोलह गॉवों में विभिन्न गतिविधियों जैसे धर्मिक,शैक्षणिक, सहशैक्षणिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद कार्यक्रम, हार्ट वाल्व, सर्जरी हेतु मुख्यमंत्री सहायता कोष में अंशदान आपातकालीन घटनाओं पर अनुदान, मंदिर क्षेत्र के मंदिरों को अनुदान, सर्दी में कम्बल वितरण, दर्शनार्थियों की जेब कट जाने पर किराया भाड़ा ,विभिन्न जनोपयोगी एवं मानव सेवापयोगी गतिविधियॉ हेतु अनुदान एवं निर्माण, विकास कार्यो आदि पर अनुदान के लिए रू0 **20.00** लाख का प्रावधान रखा गया है ।

19. ***आयकर एवं अन्य शुल्क :–*** **20.00 लाख**

फिक्स डिपोजिट जमाओं पर बैक द्वारा सीधे ही आयकर काटने तथा बैक द्वारा स्वीकृत ऋण पर ब्याज हेतु रू0 **20.00** लाख का प्रावधान किया गया है ।

20. ***भोजनशाला व्यवस्था :–*** **150.00 लाख**

दर्शनार्थियों को लाभ हानि रहित दरो पर शुद्ध एवं पवित्र भोजन कराने हेतु मंदिर मण्डल द्वारा भोजनशाला संचालित हैं। भोजनशाला हेतु रू0 **150.00** लाख का प्रावधान किया गया है ।

21. ***<u>प्रसाद व्यवस्था :–</u>*** **600.00 लाख**

दर्शनार्थियों को उचित दरो पर श्री सॉवलियाजी सेठ का प्रसाद उपलब्ध कराने हेतु सामग्री यथा–खाद्य सामग्री, प्लास्टिक बेग, गैस रिफिल, फल, गैस व घी परिवहन व्यय को सम्मिलित करते हुए इस मद में राशि रू0 **600.00** लाख का प्रावधान किया गया है ।

उक्त बजट प्रावधान पर मदवार विचार विमर्श कर आवश्यक संशोधन करते हुये सर्वसम्मति से बजट पारित किया जाता है। स्टॉक एवं स्टोर्स सामग्री क्रय करने हेतु विगत बचत से **100.00** लाख का प्रावधान रखा जाता है ताकि समय पर सामग्री क्रय के साथ ही संबंधित मद में उपभोग उपरान्त राशि दर्ज कर समायोजन हो सके। बजट प्रस्ताव की स्वीकृति एवं अनुमोदन बाबत् राज्य सरकार को निवेदन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या (2):– <u>श्री सॉवलियाजी मंदिर निर्माण कार्य की समीक्षा एवं कार्य की प्रगति पर विचार :–</u>

अध्यक्ष महोदय द्वारा बोर्ड बैठक में मुख्य मन्दिर एवं कोरीडोर निर्माण की प्रगति पर चर्चा की गई जिसमें प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि मन्दिर कोरीडोर के फर्श निर्माण के कार्य के अतिरिक्त कोरीडोर निर्माण का लगभग कार्य पूर्ण हो चुका है एवं पूर्व तकनीकी समिति बैठक में लिए गये निर्णय अनुसार मुख्य मन्दिर एवं कोरीडोर के बीच के गेप को पूर्ण करते हुए मूर्तरूप प्रदान किया जा चुका है। उक्त विषयों पर बैठक में चर्चा उपरान्त उपस्थित सदस्यों द्वारा कोरीडोर के फर्श निर्माण का कार्य पूर्व में दिये गये आदेश के अनुरूप शीघ्र पूर्ण कराने हेतु सम्बन्धित संवेदक को निर्देश प्रदान करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया ताकि कोरीडोर को यथाशीघ्र मूर्तरूप प्रदान किया जा सके।

इस हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या (3):– <u>मंदिर कॉरिडोर में बने कमरे, हॉल व सिढीयों के दरवाजे व खिडकियॉ बनवाये जाने पर विचार –</u>

प्रशासनिक अधिकारी द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुमति प्राप्त कर बोर्ड में अवगत कराया गया कि भगवान श्री सॉवलियाजी के कॉरिडोर का कार्य पूर्ण होने जा रहा है । इस कॉरिडोर में दो बडे हॉल, दो छोटे हॉल व आठ कमरे तथा ऊपर के हॉल में जाने की सिढीयॉ बनकर तैयार हो चुकी है । इन हॉल व कमरों व सिढीयों के दरवाजे व खिडकियॉ बनवा कर लगवाई जाना नितान्त आवश्यक है । क्योंकि मंदिर परिसर का क्षैत्र बडा होने के साथ ही भगवान श्रीसॉवलियाजी का मुख्य मंदिर रात्रि 11.00 बजे बन्द होता है । उक्त स्थानों पर दरवाजे व खिडकियॉ लगी हुई नहीं होने से कोई भी व्यक्ति इन हॉल व कमरों में छुप–बैठ कर किसी भी अप्रिय घटना को अन्जाम दे सकता है । इसलिए मंदिर की सुरक्षा के साथ प्रश्न चिन्ह लग सकता है ।

बोर्ड बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों ने इस बिन्दु पर विचार विमर्श करने उपरान्त यह निर्णय लिया कि मंदिर के आर्किटेक्ट श्री सी.बी. सोमपुरा को पत्र लिखा जावे व दरवाजे तथा खिडकियों की ड्राईंग व एस्टीमेट तैयार कर अविलम्ब भिजवाया जावें । ड्राईंग व एस्टीमेट प्राप्त होने पर नियमानुसार निविदाऍ आमंत्रित की जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । मंदिर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को प्राथमिकता से सम्पादित कराने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत किया जाता है ।

प्रस्ताव संख्या (4):– <u>वित्तीय वर्ष 2013–2014 के अंकेक्षण एवं वर्ष 2014–2015 के लिए कर सलाहकार की स्वीकृति के क्रम में:–</u>

वित्तीय वर्ष 2013–2014 के पूर्ण होने को है तथा अंकेक्षण कार्य वित्तीय वर्ष समाप्ति के साथ ही सम्पादित हो सकें इसलिये अंकेक्षक की नियुक्ति आवश्यक है। बाद विचार विमर्श यह निर्णय लिया गया कि विगत वर्षों से अंकेक्षण कार्य कर रहे अंकेक्षक मै0सेठिया एण्ड कं0, चित्तौड़गढ़ को ही वित्तीय वर्ष 2013–2014 के लिए अंकेक्षक नियुक्त किया जावें तथा अंकेक्षण शुल्क पूर्व स्वीकृत दर 8500/– + सर्विस टेक्स देने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा आगामी वर्ष 2014–2015 के लिए कर सलाहकार कार्य मै0 सेठिया एण्ड कं0, चार्टर्ड एकाउण्टेंट, चित्तौड़गढ़ को पूर्व स्वीकृत दर 500/– प्रतिमाह पर कर सलाहकार कार्य करनें

की स्वीकृति दी जाती है। राज्य सरकार को उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति एवं अनुमोदन हेतु निवेदन किया जावें ।

प्रस्ताव संख्या(5) :– **<u>श्री सांवलियाजी मन्दिर मण्डल कर्मचारी संघ द्वारा दिये गये ज्ञापन पर विचार–विमर्श–</u>**

प्रशासनिक अधिकारी ने श्री सांवलियाजी मन्दिर मण्डल कर्मचारी संघ द्वारा दिये गये ज्ञापन के सम्बन्ध में बोर्ड बैठक में अवगत कराया गया कि कर्मचारी संघ द्वारा आठ बिन्दुओं का मांग–पत्र प्रस्तुत किया है । प्रशासनिक अधिकारी ने आठ बिन्दुओं को बोर्ड के समक्ष पढकर सुनाये गये । बोर्ड द्वारा बाद विचार विमर्श बिन्दु संख्या 1 व 2 पर विचार किये जाने का निर्णय लिया गया तथा शेष बिन्दुओं पर आगामी बोर्ड में रखे जाने को कहा गया । बिन्दु संख्या (1)अनुसार मन्दिर मण्डल में एजेन्सी के मार्फत कार्यरत संविदाकार्मिकों को मन्दिर मण्डल की संविदा पद्धति में लिए जाने की मांग की गई है। जिस पर बोर्ड में उपस्थित अध्य क्ष महोदय ने पूर्व बोर्ड बैठक दिनांक 02.08.2013 के प्रस्ताव संख्या (26)(1) में लिए गये निर्णय की जानकारी देते हुए वर्तमान में एजेन्सीज के मार्फत कार्यरत 359 कार्मिकों की सूचि संस्थापन लिपिक द्वारा बोर्ड के समक्ष रखी गयी । जिसका बारिकी से अध्ययन करने के उपरान्त 359 संविदाकार्मिकों में से 200 योग्य संविदा कार्मिकों का चयन किया गया।

उक्त चयन सूची पर बोर्ड द्वारा गहन विचार विमर्श करने के उपरान्त देवस्थान विभाग की अधिसूचना 2 दिसम्बर, 1991 के भाग–7 के नियम 42 'नियुक्ति के अधिकार' के तहत् सर्वसम्मति से संलग्न परिशिष्ट''य'' में दर्शाये गये 200 कार्मिकों को 01 अप्रेल,2014 से मन्दिर संविदा में नियुक्ति प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी को बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अधिकृत किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या(6) :– **<u>मन्दिर मण्डल में कार्यरत वर्ष 2004 से पूर्व के नियमित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर पेंशन परिलाभ दिलाने पर विचार विमर्श –</u>**

श्री सांवलियाजी मन्दिर मण्डल कर्मचारी संघ द्वारा दिये गये ज्ञापन के बिन्दु संख्या (2) में मंदिर मण्डल में कार्यरत वर्ष 2004 से पूर्व के नियमित वेतन श्रृंखला के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर पेंशन परिलाभ दिलाने की मांग की गई है। इस पर प्रशासनिक अधिकारी द्वारा बोर्ड की जानकारी में लाया गया कि "श्री सॉवलियाजी मंदिर अध्यादेश, 1991 के सामान्य कानूनी नियम"अधिसूचना 2दिसम्बर,1991 के भाग–7 के नियम (40)(2) में वैतनिक कर्मचारियों पर राजस्थान सेवा नियमों के पार्ट 8 के नियमों में वर्णित पैंशन नियम लागू नहीं होंगे ।

बोर्ड बैठक में प्रशासनिक अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी का अवलोकन करने के उपरान्त उपस्थित बोर्ड सदस्यों ने विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि "श्रीसॉवलियाजी मन्दिर अधिनियम,1992(1992 का अधिनियम संख्या 8) के नियम(29)(ज) व (29)(3 व 4) की शक्तियों के दायरे में यदि राज्य सरकार संशोधन कर सकती है तो श्री सॉवलियाजी मंदिर मण्डल में वर्ष 2004 से पूर्व के नियमित वेतन श्रृॅंखला के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के अनुरूप पैंशन परिलाभ दिये जाने की अनुशंषा बोर्ड द्वारा की जाती है । साथ ही "श्री सॉवलियाजी मंदिर अध्यादेश, 1991 के सामान्य कानूनी नियम"अधिसूचना 2दिसम्बर,1991 के भाग–7 के नियम (40)(2) में वैतनिक कर्मचारियों पर राजस्थान सेवा नियमों के पार्ट 8 के नियमों में वर्णित पैंशन नियम में संशोधन कर लागू करा गजट में प्रकाशित कराने का कष्ट करावें । बोर्ड द्वारा पैंशन परिलाभ दिये जाने की सर्वसम्मति से सहमति प्रदान करती है । इस प्रस्ताव की प्रति राज्य सरकार के पास भिजवाये जाने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत किया जाता है ।

प्रस्ताव संख्या(7) :– **<u>मंदिर मण्डल गौशाला में बाडे व सडक निर्माण कार्य पर विचार–</u>**

माननीय अध्यक्ष महोदय ने बोर्ड बैठक में अवगत कराया गया कि वर्तमान में गौशाला में गायों की संख्या करीब 1700 है । जिन्हें व्यवस्थित छाया में रखने के लिए 6–7 बाडों का निर्माण निवर्तमान जिला कलेक्टर महोदय के निरीक्षण के उपरान्त खुली निविदाऍं आमंन्त्रित की जाकर न्यूनतम दर संवेदक से कार्य कराया जा रहा है । परन्तु गायों की संख्या

के अनुरूप बाडों की संख्या कम प्रतीत हो रही है । इसलिए 4–5 बाडे ओर बनवाये जाना आवश्यक है। इस बिन्दु के साथ ही बोर्ड बैठक में प्रशासनिक अधिकारी ने अवगत कराया कि गौशाला के अन्दर पक्की सडके नहीं होने से बरसात के समय में किचड हो जाने से गायों को आने जाने व कार्मिकों द्वारा घास आदि की आपूर्ति करने में काफी समस्याओं का सामना करना पडता है । उक्त बाडों तक आने जाने के लिए पक्की सडके भी बनवायी जाना नितान्त जरूरी है ।

बोर्ड में उपस्थित सदस्यों ने माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रशासनिक अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी पर गौशाला का मौका निरीक्षण किया गया । मौका निरीक्षण उपरान्त सभी सदस्यों ने बाद विचार विमर्श निर्णय लिया गया कि वर्तमान जो संवेदक बाडों का निर्माण कार्य कर रहा है तथा जो संवेदक सडक निर्माण का कार्य कर रहा है । उक्त दोनों संवेदक अपनी – अपनी स्वीकृत दरों पर यदि कार्य करने की सहमति प्रदान करते है तो गौशाला में कार्य कर रहे संवेदक से पॉच बाडे और बनवाये जाने की तथा सडक निर्माण का कार्य कर रहे संवेदक से सडक कार्य करने की अतिरिक्त स्वीकृति प्रदान की जाती है । सहायक अभियन्ता उक्त दोनों कार्य का व्यय तखमीना तैयार कर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें । सहायक अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले तखमीने के अनुसार उक्त दोनों कार्य में होने वाला व्यय निर्माण मद से व्यय करने की स्वीकृति बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से प्रदान की जाती है ।

इस कार्य को शीघ्र निष्पादित करने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत किया जाता है ।

प्रस्ताव संख्या(8) :– <u>मंदिर परिक्षैत्र के ग्राम बलियाखेडा व चरलिया का मजरा भेरूखेडा में सडक निर्माण कार्य पर विचार–</u>

माननीय अध्यक्ष महोदय ने बोर्ड बैठक में अवगत कराया गया कि मंदिर क्षेत्र के सोलह गावों के अन्तर्गत ग्राम बलिया खेड़ा व ग्राम चरलिया का मजरा भेरुखेड़ा में सम्पर्क सड़क नहीं होने के कारण उक्त सड़कों का निर्माण मंदिर मण्डल द्वारा करवाया जाना है।

बोर्ड बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों ने इस बिन्दु पर विचार विमर्श करने उपरान्त यह निर्णय लिया कि सहायक अभियन्ता मंदिर मण्डल से एस्टीमेट तैयार करवाकर नियमानुसार निविदाऍं आमंत्रित कर सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस कार्य को शीघ्र निष्पादित करने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत किया जाता है ।

प्रस्ताव संख्या(9) :– <u>दुकानों/कियोस्क निर्माण पर विचार–</u>

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि मीरा सर्कल से मंदिर परिसर के आसपास अव्यवस्थित रुप से गैर दुकानदारों द्वारा जगह–जगह अतिक्रमण कर सड़कों को बाधित कर रखा है जिससे आये दिन यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है । इस समस्या के निराकरण हेतु यशोदा विहार से मीरा सर्कल तक रोड़ के किनारे पर कियोस्क दुकानों का निर्माण, गोवर्धन बस स्टेण्ड की बाउण्ड्री से लगती हुई अन्दर की ओर दुकानों का निर्माण तथा चिकारड़ा सुदामा विश्रान्ति गृह की दिवार से लगती हुई दुकानों का निर्माण करवाया जाना उचित होगा । जिससे मंदिर परिसर एवं इसके आसपास तथा यशोदा विहार से मीरा सर्कल तक फोरलेन सड़क पर होने वाले अतिक्रमण की समस्या का निराकरण होगा साथ ही मंदिर को भी राजस्व की बढ़ोतरी प्राप्त होगी ।

बोर्ड बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने इस पर विचार विमर्श उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये सुझाव पर गौर कर यह निर्णय लिया गया कि श्री सॉवलिया सेठ धर्मशाला कार्य के आर्किटेक्ट बी. एम. कन्सलटेन्सी, चित्तौडगढ जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिकृत वास्तुकार है की सेवाऐं ली जाकर ड्राईंग्स/एस्टीमेट तैयार करवाया जाकर नियमानुसार निविदा आमंत्रित कर दुकानों का निर्माण कार्य करवाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

इस कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत किया जाता है ।

प्रस्ताव संख्या(10):– <u>ग्राम माताजी का खेडा में ओपन छत, टंकी निर्माण एवं पम्प सेट बोर हेतु अनुदान पर विचार–</u>

मंदिर बोर्ड सदस्य श्री शोभालाल गायरी ने माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष ग्राम माताजी का खेड़ा में ओपन छत निर्माण एवं पम्प सेट बोर तथा पानी की टंकी निर्माण कराने हेतु पंचायत समिति कपासन जिला–चित्तौड़गढ़ द्वारा बनाया गया तखमीना रुपये 4,62,000/– का प्रस्तुत किया गया था। पूर्व बोर्ड बैठक दिनांक 28.01.2013 में लिये गये निर्णय उपरान्त भी अभी तक राशि प्राप्त नहीं होने से सार्वजनिक हित का कार्य नहीं हो पाया है। इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने प्रशासनिक अधिकारी से प्रत्युत्तर चाहा गया जिस पर प्रशासनिक अधिकारी द्वारा बोर्ड को अवगत कराया गया कि उक्त प्रस्ताव में लिया गया कार्य श्री साँवलियाजी मंदिर बोर्ड के परिक्षेत्र के सोलह गावों से बाहर का होने के कारण राज्य सरकार के पास स्वीकृति हेतु भिजवाया गया था । परन्तु राज्य सरकार द्वारा अभी तक उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई प्रत्युत्तर नहीं भिजवाने से भुगतान में विलम्ब हुआ है । बाद विचार विमर्श बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि उक्त कार्य सार्वजनिक हित का है तथा राज्य सरकार द्वारा भी किसी प्रकार का आक्षेप अभी तक नहीं भिजवाया गया है इसलिये बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से ग्राम माताजी का खेड़ा में ओपन छत निर्माण एवं पम्प सेट बोर तथा पानी की टंकी निर्माण कराने हेतु पंचायत समिति कपासन जिला–चित्तौड़गढ़ द्वारा बनाया गया तखमीना की राशि रुपये 4,62,000/– सर्व सम्मति से भुगतान करने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत करते हुये स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव संख्या(11):– <u>पूर्व में आवंटित की गई दुकानों एवं नवीनीकरण पर विचार–</u>

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बोर्ड को अवगत कराया गया कि श्री सॉवलियाजी मंदिर मण्डल द्वारा पूर्व में विस्थापितों एवं अन्य व्यक्तियों को लॉटरी सिस्टम से मासिक किराये पर दुकानों का आवंटन किया गया था परन्तु उक्त दुकानों को बहुत सारे दुकानदारों ने मंदिर मण्डल द्वारा आवंटित की गयी दुकानों को अन्य लोगों को ऊॅची दरों पर सबलेट कर दी गयी है न ही किराया जमा कराया जा रहा है,साथ ही उक्त दुकानों कियोस्क,फूटपाथ व आवासों का आवंटन करने के पश्चात् अभी तक नवीनीकरण नहीं हुआ है ।

इस बिन्दु पर गम्भीरता से विचार विमर्श करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि जिन विस्थापितों/अन्य व्यक्तियों ने दुकाने/आवास सबलेट कर दिये है। उन दुकानों /आवासों को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जावें एवं जिन किरायेदारों द्वारा दुकान,कियोस्क, फूटपाथ व आवास का किराया जमा नहीं कराया गया है । उन्हें दिनांक 31.03.2014 तक किराया मंदिर मण्डल कार्यालय में जमा कराने हेतु अविलम्ब सूचित किया जावें व समस्त दुकानों, कियोस्क, फूटपाथ व आवास भवनों का नवीनीकरण दिनांक 31.03.2014 तक किया जावें । इस हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या(12):– <u>कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर विचार–</u>

प्रशासनिक अधिकारी द्वारा बोर्ड बैठक में निम्नांकित कर्मचारियों द्वारा वेतन विसंगतियों को दूर कर परिलाभ दिलाये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गये है–

क0स0	कर्मचारी का नाम	मांग
1.	श्री चत्तरसिंह सोलंकी, नियमित कर्मचारी	सन् 1992–93 से औद्योगिक न्यायाधिकरण,भीलवाडा न्यायालय में हुए आपसी राजीनामें के अनुसार एवं बोर्ड बैठक दिनांक 29.07.2004 के प्रस्ताव सं0 16(4 के निर्णयानुसार) कनिष्ठ लिपिक के सेवालाभ दिलाये जाने बाबत् ।
2.	श्री गौतमलाल जैन, कृषि निरीक्षक	वेतन ग्रेड पे संशोधन –राज्य सरकार में समकक्ष पदों में ग्रेड पे 3600/–रूपये है दिलाये जाने की मांग
3	श्री कालू लाल तेली, धर्मशाला निरीक्षक	वेतन ग्रेड पे संशोधन –राज्य सरकार में समकक्ष पदों में ग्रेड पे 3600/–रूपये है दिलाये जाने की मांग
4.	श्री रणवीसिंह झाला, सिविल सुपरवाईजर	वेतन ग्रेड पे संशोधन –राज्य सरकार में समकक्ष पदों में ग्रेड पे 3600/–रूपये है दिलाये जाने की मांग
5.	श्री महावीरसिंह चौहान, सिविल सुपरवाईजर	वेतन ग्रेड पे संशोधन –राज्य सरकार में समकक्ष पदों में ग्रेड पे 3600/–रूपये है दिलाये जाने की मांग
6.	श्री लहरीलाल गाडरी, वरिष्ठ लिपिक	वेतन ग्रेड पे संशोधन –राज्य सरकार में समकक्ष पदों में ग्रेड पे 3600/–रूपये है दिलाये जाने की मांग
7	श्री शम्भूलाल शर्मा, इलेक्ट्रीशियन ग्रेड II	इलेक्ट्रीशियन ग्रेड II की ग्रेड पे व पे बेण्ड दिलाये जाने की मांग
8	श्री राजेन्द्र सिंह राव, इलेक्ट्रीशियन ग्रेड II	इलेक्ट्रीशियन ग्रेड II की ग्रेड पे व पे बेण्ड दिलाये जाने की मांग
9	श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्लम्बर ग्रेड II	प्लम्बर ग्रेड II की ग्रेड पे व पे बेण्ड दिलाये जाने की मांग

10.	श्री ओंकारलाल शर्मा, सहायक कर्मचारी	योग्यता अनुरूप अन्य नियमित कर्मचारियों की भॉति धर्मशाला लेखक के पद पदोन्नति की मांग

बोर्ड बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने विचार विमर्श कर निर्णय लिया कि आज की बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी उपस्थित नहीं होने से प्रस्तूत किये गये प्रार्थना पत्र आगामी बोर्ड बैठक में विचारार्थ प्रस्तूत किये जावें ।

प्रस्ताव संख्या(13):– <u>भगवान श्री सांवलियाजी की महिमा पर फिल्म बनाने पर विचार–</u>

माननीय अध्यक्ष महोदय ने अवगत कराया कि भगवान श्रीसॉवलियाजी की महिमा को देखते हुए बम्बई से फिल्म निर्माता श्री सुजीत सिंह एवं निर्देशक श्री नरपत सिंह राणावत आये हुए है जो एक राजस्थानी सिनेमास्कोप फिल्म बनाना चाहते है । जिनका प्रार्थना पत्र फिल्म बनाने की अनुमति बाबत् प्रस्तुत किया है । निर्देशक,दीर्घा विजन,बम्बई श्री नरपतसिंह राणावत से बोर्ड बैठक में विस्तृत फिल्म के परिदृश्य पर चर्चा की गयी ।

बाद विचार विमर्श यह निर्णय लिया गया कि श्री नरपतसिंह राणावत, निर्देशक, दीघ र्ा विजन, बम्बई को फिल्म "आजा सॉवलिया" बनाने की अनुमति सर्व सम्मति से प्रदान की जाती है। फिल्म निर्देशक द्वारा चाही गयी निम्न सुविधा मंदिर बोर्ड देने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता है:–

(1) ठहरने की व्यवथा (2)भोजन व्यवस्था (3)टेन्ट व कुर्सियों की व्यवस्था

इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी एक बार निर्माता व निर्देशक को बुलाकर वार्ता कर अनुबन्ध तैयार करावें । जिस पर मंदिर मण्डल की तरफ से अध्यक्ष व मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सर्वसम्मति से अधिकृत किये जाते है ।

तत्पश्चात् बोर्ड बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

अध्यक्ष	बोर्ड सदस्य	बोर्ड सदस्य
श्री साँवलियाजी मंदिर मण्डल	श्री साँवलियाजी मंदिर मण्डल	श्री साँवलियाजी मंदिर मण्डल
मण्डफिया, जिला–चित्तौड़गढ़	मण्डफिया, जिला–चित्तौड़गढ़	मण्डफिया, जिला–चित्तौड़गढ़

बोर्ड सदस्य
श्री साँवलियाजी मंदिर मण्डल
मण्डफिया, जिला–चित्तौड़गढ़

बोर्ड सदस्य
श्री साँवलियाजी मंदिर मण्डल
मण्डफिया, जिला–चित्तौड़गढ़

बोर्ड सदस्य
श्री साँवलियाजी मंदिर मण्डल
मण्डफिया, जिला–चित्तौड़गढ़

बोर्ड सदस्य
श्री साँवलियाजी मंदिर मण्डल
मण्डफिया, जिला–चित्तौड़गढ़

क्रमांक / बैठक / 2014 / दिनांक–

<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–</u>

1 निजी सचिव, माननीय देवस्थान मंत्री महोदय,राजस्थान सरकार, जयपुर

2 प्रमुख शासन सचिव, देवस्थान विभाग, राजस्थान, जयपुर

3 उप शासन सचिव, देवस्थान विभाग, जयपुर

4 जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,चित्तौड़गढ़ एवं पदेन सदस्य

5 अध्यक्ष, श्री साँवलियाजी मंदिर मण्डल, मण्डफिया, जिला–चित्तौड़गढ़

6 आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

7 श्री.....श्रीसॉवलियाजी मंदिर बोर्ड सदस्य

8 प्रशासनिक अधिकारी, श्री साँवलियाजी मंदिर मण्डल, मण्डफिया

9 सहायक इंजीनियर, श्री साँवलियाजी मंदिर मण्डल, मण्डफिया

10 लेखाधिकारी, श्री साँवलियाजी मंदिर मण्डल, मण्डफिया

11 स्थापन / लेखा शाखा, श्री सावलियाजी मंदिर मण्डल, मण्डफिया

12 गार्ड पत्रावली / आदेश पत्रावली

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
श्री साँवलियाजी मंदिर मण्डल
मण्डफिया ,जिला–चित्तौड़गढ़